

[25 April, 2003]

RAJYASABHA

RAJYA SABHA

Friday the 25th April, 2003/5 Vaisakha, 1925 (Saka)

The House met at eleven of the clock

MR. CHAIRMAN : in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को मेडिकल तथा टी ए बिलों की आदयगी में विलम्ब

*501. श्री घनश्याम चन्द्र खरवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के मेडिकल और टी.ए. बिलों को अनुचित आपत्ति लगाकर असाधारण लम्बे समय तक भुगतान न किये जाने की शिकायतें विगत में संबंधित अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के सभी केन्द्रीय विद्यालयों से ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

Delay in payment of Medical and T. A. Bills to KV employees

†*501. SHRI GHANSHYAM CHANDRA KHARWAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that complaints regarding inordinate delay in the payment of medical bills, T.A. bills of employees of Kendriya Vidyalayas of Rajasthan and West Bengal by raising improper objections, have been received by the concerned officers in recent past;

(b) if so, the details thereof; and

(c) details of the action taken/proposed to be taken in this regard?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) Details are being collected from all the KVs in the Rajasthan and West Bengal and will be laid on the Table of the Sabha.

श्री घनश्याम चन्द्र खरवार :माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न था कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान और पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के मेडिकल और टी.ए. बिलों को अनुचित आपत्ति लगाकर असाधारण लम्बे समय तक..

श्री सभापति :आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सप्लीमेंट्री करो।

श्री घनश्याम चन्द्र खरवार : सर, सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी का एक लाइन में यह जवाब आया है कि उसका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। हमने पूछा था कि क्या ऐसे मामले संबंधित अधिकारियों की नॉलेज में हैं। इसका जवाब आना था, हां या नहीं। मैं लेकिन माननीय मंत्री ने उसका ब्यौरा इकट्ठा करने और सभापटल पर रखने के लिए कहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभाई रामजीभाई कथीरिया): केन्द्रीय विद्यालयों में जो टीए, डीए, और मेडिकल बिल का मामला होता है इसके लिए एक प्रेसक्राइब्ड प्रोसिजर हैं। इसके तहत अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें बहुत थोड़े से केस राजस्थान और पश्चिम बंगाल से हैं। जैसे ही पूरी रिपोर्ट आ आएगी हम उनको कहेंगे लेकिन आमतौर पर जो प्रोसिजर हैं, उसमें वहां के प्रिंसिपल ही ऑथराइज्ड हैं, टी.ए. और मेडिकल बिल तैयार कर के रिम्बर्स कर देते हैं। जो प्रिंसिपल हैं उनका टी.ए. और मेडिकल बिल पास होने के लिए रीजनल ऑफिस में जाते हैं और पास होते हैं। जो कम्प्लीकेटेड केस होते हैं, वे रीजनल ऑफिस जाते हैं और वहां एसिसटेंट कमिश्नर उन्हें पास करके भेज देते हैं।

श्री सभापति : ठीक है। आपने कभी सार्ट आउट किया है और ये किस ईयर के बाकी है?

डा. वल्लभाई रामजीभाई कथीरिया : हमारे पास अभी तक केवल पांच-छः केस आए हैं जो लास्ट ईयर के हैं। वे भी केस हैं जिनमें पता चलता है कि टी.ए. बिल के लिए वह कर्मचारी नहीं गया और किसी को भेज दिया और वह बता रहा है कि हमारा टी.ए. बिल बाकी है। हम सार्ट आउट कर रहे हैं। जब यह पूरी डिटेल आएगी ...

श्री सभापति : अगर वह कर्मचारी गया ही नहीं तो आप सार्ट आउट क्यों कर रहे हो, कैंसिल करके भेजते।

डा.वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया :कनफर्म कर रहे हैं क्योंकि वे कह रहे हैं कि हम गए हैं और हम कह रहे हैं कि आप नहीं गए। तो उसे क्लीयर कर रहे हैं।

श्री घनश्याम चन्द्र खरवार :माननीय सभापति जी, उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की हैं। हम जानना चाहते हैं कि कब तक उसको सभा पटल पर रख दिया जाएगा, यह अवगत करा दीजिए?

डा.मुरली मनोहर जोशी :केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या और उनके विभिन्न क्षेत्रों से, क्योंकि प्रश्न यह आया कि टी.ए.,डी.ए., और मेडिकल रिएम्बर्समेंट, इसकी पूरी जानकारी सदन को चाहिए तो हमारे पास जहां जानकारी नहीं है तो वहीं से ही इक्वटी करनी पड़ेगी।

श्री सभापति :सुनिए, पुरी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जो आपको रेफर होते हैं उनको पेमेंट नहीं होती है, उनके बिल का डिसपोजल होना चाहिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी :हमारे पास तो शिकायतें हैं ही नहीं।

श्री सभापति :वे कह रहे हैं कि हमको शिकायतें हैं।

डा.मुरली मनोहर जोशी : जब हमने यहां से जानकारी मांगी कि क्या मामला है, कोई ऐसा मामला है तो यह पता चला है कि इस प्रकार का विवाद है कि कोई व्यक्ति गया है या नहीं गया है। यह तो एक छोटा सा मामला है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई जानकारी हो सकती है—न किसी संबंधित सदस्य ने हमें बताया, न किसी अध्यापक ने हमारे पास, बोर्ड के पास रिप्रेजेन्ट किया है तो हमें जानकारी तो नीचे से ही लेनी पड़ेगी। क्या इसका निस्तारण---

श्री सभापति :यह सही है, आपके मंत्री जी जानकारी दे रहे हैं कि इतने केसेज पेंडिंग हैं।

डा.मुरली मनोहर जोशी : केसेज पेंडिंग नहीं हैं, एक केस के बारे में इन्होंने कहा है जिसमें यह प्रश्न उठा है कि जिस व्यक्ति का एल.टी.सी. सैंक्शन....

श्री सभापति :नहीं, यह और भी कहा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी :कोई केस ऐसा नहीं है।

श्री सभापति :आपने कहा है ना?

श्री घनश्याम चन्द्र खरवार :पांच-छः केसेज हमारे पास ऐसे आए हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ।

डा. मुरली मनोहर जोशी :केवल एक केस हैं। आपके केस का निस्तारण हो चुका है, यह मैं कह रहा हूँ।

श्रीमती सरोज दुबे :सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि केन्द्रीय विद्यालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पहले सवास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती थी। सरकार ने एक आदेश के कारण इसे निरस्त कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक ओर तो सरकार यह दावा करती है कि ... (व्यवधान)...

श्री सभापति :आप क्वेश्चन किजिए।

श्रीमती सरोज दुबे :मेडिकल वाला?

श्री सभापति :मेडिकल वाला कीजिए, क्वेश्चन कीजिए।

श्रीमती सरोज दुबे :सभापति जी, मैं मतलब की बात ही कर रही हूँ। एक ओर तो यह सरकार दावा करती है कि यह वृद्ध लोगों को रियायती दर पर सुविधा प्रदान करती है लेकिन ये वृद्ध शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, जो देश के नागरिकों को बनाने में योगदान देते हैं, अवकाश प्राप्त करने के बाद इनकी आय कम हो जाती है(व्यवधान)...

श्री सभापति :आप क्वेश्चन कीजिए।

श्रीमती सरोज दुबे :सभापति जी, मैं वहीं कर रही हूँ।

श्री सभापति :आप नहीं कर रही हैं।

श्रीमती सरोज दुबे :इसके बाद उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता बढ़ जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत उनकी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्यों रोकी गई हैं? शिक्षकों के योगदान को ध्यान में रखते हुए क्या इस सुविधा को फिर से मुहैया कराने का कष्ट करेंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी :सभापति जी, इस संबंध में पुरी जानकारी मेरे पास आज उपलब्ध नहीं है। मैं बाद में दे दूंगा।

श्री सभापति :श्रीमती प्रेमा करियप्पा।

श्रीमती सरोज दुबे: इनके पास किसी बात की जानकारी नहीं है। क्या करेंगे?

श्रीमती सभापति : आप बातचीत मत कीजिए। वे क्वेश्चन पूछना चाहती हैं।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA : Sir, I would like to know from the Hon. Minister whether the Government of India is monitoring the standards of teaching in Kendriya Vidyalayas and whether they have any plan to open Kendriya Vidyalayas in Karnataka.

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यकलाप का हम समय-समय पर अनुश्रवण करते हैं। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि इनके परीक्षा फलों में निरंतर सुधार हो रहा है। इनका परीक्षाफल आज सतासी प्रतिशत तक हो गया है। यह पहले अस्सी प्रतिशत से नीचे रहता था।

Establishing SAT-VU

*502. DR. T. SUBBARAMIREDDY: †

DR. C. NARAYANA REDDY :

Will Uie Minister of AGRICULTURE be pleasec to state :

(a) whether the International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics and M.S. Swaminathan Research Foundation are jointly launching a Semi-Arid Tropics Virtual University, which aims at working with the existing drought action programmes.

(b) if so, whether the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan and Madhya Pradesh would initially be covered by SAT-VU;

(c) if so, what are the other aims of this project

(d) whether any steps, in this regard, have already been taken: and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c); A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics and M.S. Swaminathan Foundation in partnership with other institutions arc

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.